महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

रू.वि./सम्ब०/2020/1391–96 दिनांक 10.06.2020

अतिमहत्वपूर्ण

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या/सचिव/प्रबन्धक/अध्यक्ष
समस्त सम्बद्ध राजकीय/सहायता प्राप्त अशासकीय/स्ववित्तपोषित महाविद्यालय,
महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय,
बरेली।

विषय– रिट याचिका संख्या 7500/2020 दीपेन्द्र विक्रम सिंह, बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 03 मार्च 2020 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, प्रयागराज के पत्र संख्या डिग्री विकास/283–86/2020–21 दिनांक 09.06.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो रिट संख्या 7500/2020 दीपेन्द्र विक्रम सिंह, बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 03 मार्च 2020 के अनुपालन में राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त अन्य समस्त शैक्षणिक संस्थाओं के भवन व परिसर में संचालित होने वाली व्यावसायिक गतिविधियों यथा – विवाह, समारोह, कोचिंग सेन्टरों के संचालन एवं दुकानों को प्रतिबन्धित करने के सम्बन्ध में है। उक्त पत्र के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का कड़ाई से पालन किया जाय। यदि किसी भी सम्बद्ध राजकीय/सहायता प्राप्त अशासकीय/स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में उक्त से सम्बन्धित मामला प्रकाश में आता है तो उसके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

अतः आपसे अनुरोध है कि रिट याचिका संख्या 7500/2020 दीपेन्द्र विक्रम सिंह, बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 03 मार्च 2020 के अनुपालन के सम्बन्ध नें शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, प्रयागराज के पत्र संख्या डिग्री विकास/283–86/2020–21 दिनांक 09.06.2020 का अनुपालन करने का कष्ट करें।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) उ0प्र0, उच्च शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली मुरादाबाद परिक्षेत्र, बरेली।
3. निजी सचिव–कुलपति, माननीय कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
4. वैयक्तिक सहायक, कुलसचिव।
5. प्रभारी वेबसाइट, विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

कुलसचिव